न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 236 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 410
दायर दिनांक :– 31.07.2025 निर्णय दिनांक :– 30.01.2026

1. अजीज खां पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. इलमदीन पुत्र खानू खां जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सकूर खां पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. सरादीन पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सरीफ पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रहमतुल्ला पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. अरसद पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मजीद पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. हनीफ पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. हबीबुलाह पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. बरकत पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. मूर्ति पत्नी बाबूराम पिता भरमलराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तह. आउ जिला फलोदी
8. सतार खां पुत्र खैरदीन जाति मुसलमान निवासी लौकायत तहसील व जिला फलोदी
9. मोहम्मद रमजान पुत्र मोहम्मद आलम जाति मुसलमान नि. जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
10. नूर खातु पत्नी मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान नि. जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
11. जुबेदा खातु पत्नी अब्दुल शकूर जाति मुसलमान नि. जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री रविन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 9 ता 11

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 126/89 रकबा 12.6343 हैक्टेयर ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 03.06.2025 को जारी आदेश कमांक संख्या 2025/49623/09 की पालना में दिनांक 03.07.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 03.07.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 03.07.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/89 रकबा 12.6343 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबदी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 9 ता 11 की और से अधिवक्ता श्री रविन्द्रसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/89 रकबा 12.6343 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 03.07.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

Satya.

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 9 ता 11 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 9 ता 11 की खातेदार भूमि ग्राम ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 119/89 रकबा 12.2458 हैक्टेयर की पूर्व की गई पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/89 रकबा 12.6343 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 9 ता 11 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119/89 रकबा 12.2458 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 9 ता 11 अपने–अपने नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 9 ता 11 वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 03.07.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 126/89 रकबा 12.6343 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 119/89 रकबा 12.2458 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 03.07.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। संबंधित खातेदारों द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/– प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)